मि० न० 02/2024

2-5-2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थी गोवर्धन लाल उपस्थित।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए यह जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (श्री अनमोल गोल्ड) मूल पैक बोतल का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी गोवर्धन लाल मित्तल पुत्र श्री नाथूलाल मित्तल, खाद्यकरोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर मैसस– मित्तल टेडिंग कम्नलह, गॉधी चौराहा, जोल्पा रोड सांगोद जिला कोटा निवासी– खेमजी कोलोनी बपावर रोड, सांगोद जिला कोटा पर 7000/– रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. 096977/05 Dated 13/05/2024 Rs. 7000/-

कैशियर
कार्यालय जिला कलेक्टर